न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 103/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 08.06.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. किशोर सिंह पुत्र धूल सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र धूल सिंह
3. राजेन्द्र सिंह आ0 धूल सिंह मृतक जरिये कायम मुकामान
   3/1 गजेन्द्र सिंह
   3/2 सुरेन्द्र सिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांट्स

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक –अपीलांट्स
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 11.07.2024

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 44/2022 बउनवान किशोर सिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व के खसरा संख्या 786 रकबा 10 बिस्वा, 787 रकबा 10 बिस्वा, 788 रकबा 16 बिस्वा, 789 रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 790 रकबा 03 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 की 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम नान्ता तहसील लाड़पुरा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1975 से तत्कालीन खातेदार मथुरी बेवा नात्या जाति माली निवासी नान्ता से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था।

उक्त आराजी में सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य किया गया तथा उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 786, 787, 789 एवं 790 के नये खसरा संख्या 1118, 1116, 1087, 1090 एवं 1115 कुल 05 किता रकबा 0.83 हेक्टेयर कायम किया गया, जो गत रकबा 05 17 बिस्वा अर्थात 0.94 हेक्टेयर आराजी के मुकाबले 0.11 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया। उक्त आराजी के खसरा संख्या 788 रकबा 16 बिस्वा का सेटलमेंट के पश्चात् कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर का रकबा किसी अन्य खसरा नम्बर के रकबे रिकोर्ड में मिला दिया गया। तहसीलदार, लाड़पुरा से रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा "बाद सेटलमेंट रकबे का अंकन मौके एवं राजस्व नक्शे से भिन्न अंकित गया है, का प्रमाणीकरण सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद के नक्शे का अवलोकन करने से नहीं होता है" वर्णित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.04.2022 से खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी में सेटलमेंट विभाग द्वारा कार्य किया गया तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीगण की आराजी के पुराने खसरा संख्या 786, 787, 789 एवं 790 के नये खसरा संख्या 1118, 1116, 1087, 1090 एवं 1115 कुल 05 किता रकबा 0.83 हेक्टेयर कायम किया गया, जो गत रकबा 05 17 बिस्वा अर्थात 0.94 हेक्टेयर आराजी के मुकाबले 0.11 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया। उक्त रकबे को रिकोर्ड में कम दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कानूनी अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी के पुराने ख0 न0 788 रकबा 16 बिस्वा का सेटलमेंट के पश्चात् कोई नया नम्बर कायम नहीं किया तथा अन्य खसरा नम्बर के रिकोर्ड में मिला दिया गया। जबकि अपीलांट उक्त आराजी पर पूर्ववत यथावत संपूर्ण रकबे पर काबिज काश्त हैं तथा राजस्व रिकोर्ड में पूर्ण रकबा दर्ज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त की गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया हुआ है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अपीलांट के गत ख0 नं0 788 रकबा 16 बिस्वा का कोई नवीन खसरा न0 कायम नहीं किया गया परन्तु मौके एवं रिकोर्ड के गत ख0 नं0 788 को नवीन खसरा संख्या 1087 में मिला दिया गया है जब कि उक्त खसरा नम्बर की रकबा बरारी एवं मौका निरीक्षण करने पर खसरा नं0 1087 का रकबा 0.32 हेक्टेयर आता है। किंतु बंदोबस्त में अपीलांट का रकबा पुराने रकबे के मुकाबले 0.11 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया तथा ख0न0 788 का कोई नवीन नम्बर नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का रकबा राजस्व रिकोर्ड में पूर्ण दर्ज नहीं करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपीलांट द्वारा 0.11 हेक्टेयर कमी रकबे को पूर्व रकबे अनुसार पूर्ति कर दुरूस्त कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के खाते एवं काश्त की कृषि आराजियात हाल सेटलमेंट से पूर्व के खसरा संख्या 786 रकबा 10 बिस्वा, 787 रकबा 10 बिस्वा, 788 रकबा 16 बिस्वा, 789 रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 790 रकबा 03 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 की 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम नान्ता तहसील लाड़पुरा में

स्थित है, जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1975 से तत्कालीन खातेदार मथुरी बेवा नात्या जाति माली निवासी नान्ता से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा अपीलांट के कब्जे काश्त चली आ रही है, को सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य किया गया तथा उक्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 786, 787, 789 एवं 790 के नये खसरा संख्या 1118, 1116, 1087, 1090 एवं 1115 कुल 05 किता रकबा 0.83 हेक्टेयर कायम किया गया, जो गत रकबा 05 17 बिस्वा अर्थात 0.94 हेक्टेयर आराजी के मुकाबले 0.11 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया। उक्त आराजी के खसरा संख्या 788 रकबा 16 बिस्वा का सेटलमेंट के पश्चात् कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर का रकबा किसी अन्य खसरा नम्बर के रकबे रिकोर्ड में मिला दिया गया। जबकि तहसील रिपोर्ट में अपीलांट का रकबा 0.11 हैक्टेयर कम होना प्रमाणित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर बिना गौर किये बिना आदेश दिनांक 25.04.2022 पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2015 (1) page no. 451 पेश किया।

5 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6 हमने अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील, लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू–अभि./2020/5568 दिनांक 11.09.2020 से उपखण्ड अधिकारी, कोटा को प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में पटवारी हल्का, नान्ता की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में अपीलांट के खाते की भूमि का मौका अनुसार अपीलांट के खाते की भूमि खसरा नं0 1087, 1090, 1115, 1116 एवं 1118 पर काबिज काश्त है (कुल 5 किता रकबा 0.83 हैक्टेयर) तथा रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 अनुसार मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के गत खसरा नं0 788 का कोई नवीन खसरा नम्बर कायम नहीं किया, परन्तु मौका एवं रिकोर्ड के गत खसरा नं0 788 को नवीन खसरा संख्या 1087 में मिला दिया गया है। खसरा नं0 1087 का रकबा बन्दोबस्त द्वारा 0.21 हैक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि उक्त खसरा संख्या की रकबा बरारी करने एवं मौका निरीक्षण करने पर खसरा नंबर 1087 का रकबा 0.32 हेक्टेयर आता है। रिपोर्ट अनुसार मौके पर अपीलांट के पूर्व खाते के अनुसार रकबा पूर्ण है, परंतु बन्दोबस्त में अपीलांट का रकबा पुराने के मुकाबले 0.11 हैक्टेयर कम दर्ज किया गया है एवं गत खसरा संख्या 788 को कोई नवीन खसरा संख्या नहीं बनाया गया हैं। प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य के दौरान अपीलांट के खाते की आराजी के पुराने खसरा संख्या 786, 787, 789 एवं 790 के नये खसरा संख्या 1118, 1116, 1087, 1090 एवं 1115 कुल 05 किता रकबा 0.83 हेक्टेयर कायम किया गया, जो गत रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 0.94 हेक्टेयर आराजी के मुकाबले 0.11 हेक्टेयर कम दर्ज किया गया। उक्त आराजी के खसरा संख्या 788 रकबा 16 बिस्वा का सेटलमेंट के पश्चात् कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर का रकबा किसी अन्य खसरा नम्बर के रकबे रिकोर्ड में मिला दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार (भू0–अभिलेख) तहसील, लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू–अभि./2020/5568 दिनांक 11.09.2020 से प्रेषित हल्का पटवारी, नान्ता रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 जिसके अनुसार यह वर्णित किया गया है कि "खसरा संख्या 1087 का रकबा बन्दोबस्त

द्वारा 0.21 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि उक्त खसरा नं0 की रकबा बरारी करने एवं मौका निरीक्षण करने पर खसरा नंबर 1087 का रकबा 0.32 हेक्टेयर आता है तथा अपीलांट के पास मौके पर अपने पूर्व खाते के अनुसार रकबा पूर्ण है, परन्तु बन्दोबस्त में रकबा पुराने के मुकाबले 0.11 हैक्टेयर कम दर्ज किया गया'' पर गौर नहीं करते हुए अपीलांट का प्रार्थना–पत्र 136 अन्तर्गत एलआरएक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 25.04.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सेटलमेंट से पूर्व बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शा आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृज मोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा